

HOME VOTING

वे निर्वाचक जो फॉर्म 12D भरकर घर से मतदान की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं:

- दिव्यांग व्यक्ति (40% बेंचमार्क दिव्यांगता)
- वरिष्ठ नागरिक (85 वर्ष से अधिक आयु)



घर से मतदान सुविधा का लाभ कैसे उठाएं:

1

इसका लाभ उठाने के लिए मतदाताओं को चुनाव अधिसूचना के पाँच दिनों के भीतर फॉर्म 12D भरकर रिटर्निंग अधिकारी को जमा करना होता है



5

इसके बाद मतदान अधिकारी सुरक्षाकर्मियों की टीम के साथ आपके घर आपका मत लेने आएंगे



2

दिव्यांग मतदाताओं को फॉर्म 12D के साथ-साथ अपनी दिव्यांगता का प्रमाणपत्र भी जमा करना होता है



6

मतदाता को वोट लेने के लिए आने वाली टीम की सूचना पहले ही दे दी जाती है



3

बीएलओ निर्वाचन के घर से फॉर्म 12D एकत्र करेगा



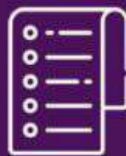
7

इतना ही नहीं ट्रांसपेरेंसी के लिए यह पूरी प्रोसेस रिकॉर्ड भी की जाती है



4

यदि उम्मीदवार इस प्रक्रिया पर नज़र रखने के लिए अपने प्रतिनिधियों को नियुक्त करना चाहें तो उन्हें ऐसे निर्वाचनों की सूची भी उपलब्ध कराई जाएगी



8

उन्हें SMS के माध्यम से सूचित किया जाएगा कि किन तारीखों को होम वोटिंग फैसिलिटी रहेगी

